

प्रश्न सं. [क. 1940]

विधान सभा सत्र-जुलाई 2025

तारांकित प्रश्न क्रमांक 1940 द्वारा डॉ. अभिलाष पांडेय

परिशिष्ट-04 प्रश्नांश 'ख'

- (i) कार्य आयोजना का क्रियान्वयन योजना-7882 संचालित है, जिसके अंतर्गत पुनरोत्पादन कूपों में उपचार कार्य एवं पौधारोपण कार्य कराए जाते हैं।
- (ii) कैम्पा अंतर्गत क्षतिपूर्ति वनरोपण (CA)-9664 वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन भूमि व्यपवर्तन के प्रस्तावों के अंतर्गत व्यपवर्तित वनभूमि के बदले में रोपण कार्य किया जाता है।
- (iii) निवल वर्तमान मूल्य (NPV)-9667 वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन भूमि व्यपवर्तन के प्रस्तावों के उपयोगकर्ता संस्थाओं से प्राप्त राशि से वन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के रोपण जैसे- बिगड़े वनों का सुधार, मिश्रित रोपण आदि किये जाते हैं।

योजनाओं का क्रियान्वयन- वन संरक्षण अधिनियम (1980) के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों के लिये वन भूमि व्यपवर्तन के प्रकरण स्वीकृत किये जाते हैं। वन भूमि व्यपवर्तन के प्रकरणों में स्वीकृति जारी करते समय भारत सरकार द्वारा विभिन्न शर्तें अधिरोपित की जाती हैं। इन शर्तों के अनुरूप आवेदक संस्थान से क्षतिपूर्ति वनीकरण, आवाह क्षेत्र उपचार, वन्यप्राणी प्रबंधन तथा निवल वर्तमान मूल्य (एन.पी.व्ही.) आदि की राशि जमा कराई जाती है। उक्त प्रकार से जमा राशि से प्रतिकरात्मक रोपण निधि नियम 2018 के प्रावधानों के अनुसार कार्य किये जाते हैं।

मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन अंतर्गत भी राष्ट्रीय बांस मिशन की केंद्रीय प्रवृत्ति योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं अनुसन्धान / विस्तार के अंतर्गत योजनाओं द्वारा वन आवरण बढ़ाने के लिए प्रयास किये जाते हैं।

स्टिफाईड एमिशन रिड्युशन जो योजनाओं के अंतर्गत स्वच्छ मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर उत्सर्जन में कमी का प्रतिनिधित्व करता है।

Gul Khar
अनुभाग अधिकारी,
मध्य प्रदेश शासन,
वन विभाग (एन-3),
भिलासपुर, जिला

[Signature]
प्र.मु.व.रा
वर्य. आयोजना एवं वन भू-अभिलेख
म.प्र. पोषाल